संख्या-700/2026/1582/22-2-2025-17(859)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 09 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश बाल्मीकि पुत्र श्री रामचन्दर, निवासी जनपद-मुरादाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-30968/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-28.07.2025) दिनांक-01-08-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश बाल्मीकि पुत्र श्री रामचन्दर, जो मौहल्ला कोठी वाला नगर एक मीनार मस्जिद, थाना-कोतवाली, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। घर पर लूटपाट का विरोध किये जाने को लेकर दिनांक 09.12.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू व लोहे का पंजा से मारकर श्रीमती पूजा गगनेजा व पुत्री सानिया उम्र 08 वर्ष की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-424, 425/2011, भा0द0वि0 की धारा-302, 394, 411 व 4/25 आर्म्स एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 03.06.2014 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 19.07.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी रिहा होने के उपरान्त अपने भय से समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, जेल से रिहा होने के उपरान्त पुनः अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना होने, जेल से रिहा होने पर अपने भय से वादी व समाज को प्रभावित करने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में घर पर लूटपाट का विरोध किये जाने को लेकर दिनांक 09.12.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू व लोहे का पंजा से मारकर श्रीमती पूजा गगनेजा व पुत्री सानिया उम्र 08 वर्ष की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

सिद्धदोष बंदी राकेश बाल्मीकि पुत्र श्री रामचन्दर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश बाल्मीकि (बन्दी संख्या-47543) पुत्र श्री रामचन्दर, निवासी जनपद-मुरादाबाद को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-700/2026/1582(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री,कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री,कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-700/2026/1582/22-2-2025-17(859)/2025

दिनांक: 09 जून, 2026 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश बाल्मीकि पुत्र श्री रामचन्दर, जो मौहल्ला कोठी वाला नगर एक मीनार मस्जिद, थाना-कोतवाली, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। घर पर लूटपाट का विरोध किये जाने को लेकर दिनांक 09.12.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू व लोहे का पंजा से मारकर श्रीमती पूजा गगनेजा व पुत्री सानिया उम्र 08 वर्ष की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-424, 425/2011, भा0द0वि0 की धारा-302, 394, 411 व 4/25 आर्म्स एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 03.06.2014 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 19.07.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी रिहा होने के उपरान्त अपने भय से समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, जेल से रिहा होने के उपरान्त पुनः अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना होने, जेल से रिहा होने पर अपने भय से वादी व समाज को प्रभावित करने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में घर पर लूटपाट का विरोध किये जाने को लेकर दिनांक 09.12.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू व लोहे का पंजा से मारकर श्रीमती पूजा गगनेजा व पुत्री सानिया उम्र 08 वर्ष की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राकेश बाल्मीकि पुत्र श्री रामचन्दर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।